

दावा अन्तर्गत धारा 88,53,209 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता  
विभाजनडिक्री

दिनांक :- 29/04/2028

वादी की ओर से श्री अशोक बिश्नोई अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री अशोक चिरांणीया अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाती है:-

(1) वादी को प्राप्त भूमि:- चक 10 एस. टी.बी. के एकल खाता संख्या 4 के प.न. 40/357 (68) के किला न. 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.202, 5/2/0.051, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7/0.253 हैक्0 की कुल 1.012 हैक्0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष कृषि भूमि प्रतिवादी न. 1 के नाम से यथावत रखी जावे

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

गजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 29/11/2028 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

3  
( उमा मित्तल कलक्टर एवं  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पद्म सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा )

